न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

नि [illegible]3 / 2019

1. रामनिवास
2. श्रीराम
3. रामसिंह पुत्र प्रबला जाति चमार निवासी शुक्लाबास तहसील कोटपूतली
4. बादामी पत्नि
5. संन्ती
6. मूर्ती
7. कमला
8. बुगली पुत्री प्रबला

प्रार्थी गण

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह राठोड पुत्र हनुमान सिंह निवासी डी. –85 अम्बाबाडी जयपुर
2. जसवंत सिंह पुत्र उमराव सिंह निवासी रावला मो. नांगल लाडी जयपुर

अप्रार्थी गण

3. रूघा पुत्र दाना जाति चमार
4. रामनाथ जाति मीणा

तरतीबी अप्रार्थी गण

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त घारा 183 (बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

निर्णय दिनांक 20.1.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183(बी) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि वाके ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली के खसरा नबर 179 / 0.28 में खनन पटटा 24 / 6 व25 / 06 के मालिक देवेन्द सिंह राठोड व जसवंत सिंह ने अपने गुण्डों के सहयेाग से जबरन कब्जा कर बदनीयत से रातों– रात खान का मलबा डालकर कब्जा कर लिया । अतः उनके विरूद्व कार्यवाही कर मलबे को हटवाया जाकर हमें कब्जा दिलवाया जावे।

तहसीलदार

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उक्त खनन मालिको की सही सूचना खनन विभाग से मंगवाई गई तथा खनन मालिको अप्रार्थी गण 1 लगायत 2 को जरिये नोटिस सूचित किया गया सूचना परान्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का शुक्लाबास से मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई । पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि वाके ग्राम शुक्लाबास के खसरा नंबर 179/0.28 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 व तरतीबी अप्रार्थी सं03लगायत 4 की खातेदारी भूमि दर्ज है । उक्त खसरा नंबर 179 में मौके पर खनन का मलबा पडा हुआ है तथा अकृषि उपयोग किया जा रहा है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है जिससे उक्त आराजियात पर अप्रार्थी संख्या 1लगायत 2 का अतिक्रमण सिद्व होता है । जबकि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 चमार जाति के व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को वाके ग्रम शुक्लाबास के खसरा नंबर 179/0.28 किस्म बारानी पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 4 को कब्जा संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2.24रू. का पचास गुणा 112रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली व कब्जा संभलाने हेतु आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सहसीलदार
कोटपतली (जे

Scanned by CamScanner